

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.  
मि०न० 316/2025

1. मंगत सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति छीपां (छीपी) निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1. कृपाल सिंह पुत्र मेहरसिंह
2. गुरमेल कौर पत्नी कृपाल
3. रजनी पत्नी मंगत सिंह
4. लवप्रीत कौर पुत्री कृपाल सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति छीपा (छीपी) निवासी हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सिंह जाति छीपां (छीपी) निवासीयान मेहरवाला  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 24/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 5 एनडीआर ए के खाता सं० 10/15 में प्रतिवादी सं० 1 के नाम की आराजी में वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 को व०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
पदेन सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।